# हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

**दशम् सत्र**

**समाचार भाग-1**

**संख्याः 92**

**बुधवार, 2 दिसम्बर, 2015/11 अग्रहायण, 1937(शक्)**

**सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख**

**समय : 11.00 बजे (पूर्वाह्न)**

**सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।**

11.00 AM

**1. प्रश्नोत्तरः**

**(i) तारांकित प्रश्नः**

स्थगित तारांकित प्रश्न संख्या 2337,2364 तथा तारांकित प्रश्न संख्या 2513 व 2514 के उत्तरों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा सम्बन्धित मंत्रियों द्वारा उनके उत्तर दिये गये। तारांकित प्रश्न संख्या 2515 से 2537 तक के उत्तर सम्बन्धित मंत्रियों द्वारा दिये गये समझे गये।

**(ii) अतारांकित प्रश्नः**

स्थगित अतारांकित प्रश्न संख्या 698 तथा अतारांकित प्रश्न संख्या 1085 से 1094 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

(तारांकित प्रश्न संख्या 2514 के उत्तर से असंतुष्ट विपक्ष के माननीय सदस्यों ने अपराह्न 12.00 बजे सदन से वॉक आऊट किया)

माननीय मुख्य मंत्री ने विपक्ष द्वारा किए गए वॉक आऊट की निंदा की तथा कहा कि पूर्व निश्चित कार्यक्रम के मुताबिक, क्योंकि इनकी पब्लिक मीटिंग हो रही है, ये लोग माननीय सदन से उठकर भाग गए। This is misuse of the democratic process of this Hon'ble House. They should be honest to say that now we have got a meeting outside and we have to go. विपक्ष के माननीय सदस्य बहाने से उठकर बाहर गए हैं।

12.02 PM

## 2. कागजात सभा पटल पर रखना :

(1) **श्री मुकेश अग्निहोत्री, उद्योग मन्त्री ने** कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम सीमित का 39वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे, वर्ष 2012-13 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखी।

(2) **श्री मुकेश अग्निहोत्री, उद्योग मन्त्री ने** निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखीः-

(i) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 27 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के वार्षिक लेखे एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2011-12 (विलम्ब के कारणों सहित);

(ii) हिमाचल प्रदेश राज्य वित्तीय निगम (SFCs Act) अधिनियम, 1951 की धारा 37 की उप-धारा (7) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम का 48वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2014-15; और

(iii) हिमाचल प्रदेश राज्य वित्तीय निगम (SFCs Act) अधिनियम, 1951 की धारा 37 की उप-धारा (7) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य वित्तीय निगम की ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 2014-15 (31 मार्च, 2015 तक)।

(3) **श्री सुधीर शर्मा, शहरी विकास मन्त्री ने** निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखीः-

(i) हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2004 की धारा 28(5) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के वार्षिक लेखे तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2013-14 (विलम्ब के कारणों सहित); और

(ii) हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2004 की धारा 30(2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2014-15 ।

## 3. <u>सदन की समितियों के प्रतिवेदन :</u>

(1) **श्री राकेश कालिया, सदस्य, लोक लेखा समिति** ने (**वर्ष 2015-16**), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की

तथा सदन के पटल पर रखी :-

(i) समिति का **117वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 64वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **परिवहन विभाग** से सम्बन्धित है;

(ii) समिति का **118वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 81वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग** से सम्बन्धित है; और

(iii) समिति का **119वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 83वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **उद्यान विभाग** से सम्बन्धित है ।

(2) **श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक उपक्रम समिति ने (वर्ष 2015-16)**, समिति का 49वा मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 (वाणिज्यिक) के पैरा संख्या 3.12 की संवीक्षा पर आधारित तथा हिमाचल सामान्य उद्योग निगम सीमित से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

(3) **श्री खूब राम, सभापति, कल्याण समिति ने (वर्ष 2015-16)**, समिति का **21वां मूल प्रतिवेदन** जोकि हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम की गतिविधियों की संवीक्षा पर आधारित तथा **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

(4) **श्री महेश्वर सिंह, सभापति, मानव विकास समिति ने (वर्ष 2015-16)**, समिति के **द्वितीय मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 13वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

(5) **श्री संजय रतन, सदस्य, सामान्य विकास समिति ने (वर्ष 2015-16)**, समिति का **15वां मूल प्रतिवेदन** जोकि **नगर एवं ग्राम योजना विभाग** से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

## 4. <u>विधान सभा कार्य-सलाहकार समिति का प्रतिवेदनः</u>

**श्रीमती आशा कुमारी, सदस्य ने कार्य-सलाहकार समिति का नवम् प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) सभा में उपस्थापित किया तथा इसकी स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भी किया।

**प्रस्ताव स्वीकार।**

## 5. <u>विधायी कार्य :</u>

## सरकारी विधेयकों की पुरःस्थापना

(i) **श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री ने** प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारी(वेतन,भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) द्वितीय संशोधन विधेयक,2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 22) को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।
**प्रस्ताव स्वीकार।**

हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारी (वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 22) पुरः स्थापित हुआ।

(ii) **श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री ने** प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जु मार्ग ( संशोधन विधेयक, 2015) (2015 का विधेयक संख्यांक 23)को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।
**प्रस्ताव स्वीकार।**

हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जु मार्ग(संशोधन विधेयक, 2015) (2015 का विधेयक संख्यांक 23)को पुरः स्थापित हुआ।

श्री महेन्द्र सिंह, सदस्य के, नियम 324 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के दो विषय लगे थे लेकिन माननीय सदस्य की अनुपस्थिति के कारण उनको सदन में नहीं रखा गया।

श्री सुरेश कुमार, सदस्य की नियम-63 के अन्तर्गत अल्पकालीन चर्चा रखी गई थी लेकिन माननीय सदस्य की अनुपस्थिति के कारण इसको सदन में नहीं लिया गया।

12.10 PM

## 6. नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव :

1. **श्री सुरेश भारद्वाज, सदस्य का नियम-130 के अन्तर्गत** प्रस्ताव चर्चा हेतु लगा था लेकिन माननीय सदस्य की अनुपस्थिति के कारण प्रस्ताव को प्रस्तुतिकरण हेतु नहीं रखा गया।

2. **श्रीमती आशा कुमारी ने निम्न** प्रस्ताव प्रस्तुत किया एवं चर्चा कीः-
   "बढ़ती महंगाई से उत्पन्न स्थिति पर यह सदन विचार करे।"

   निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लियाः

   1. श्री कुलदीप कुमार
   2. श्री महेश्वर सिंह
   3. श्री जगजीवन पॉल, मा0 मुख्य संसदीय सचिव
   4. श्री राजेश धर्माणी, मा0 मुख्य संसदीय सचिव
   5. श्री राकेश कालिया
   6. श्री किशोरी लाल
   7. श्री बम्बर ठाकुर

माननीय खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

## 7. नियम-117 के अन्तर्गत प्रस्तावः

माननीय खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि यह सदन प्रस्ताव करता है कि बढ़ती महंगाई को खास तौर पर दालों व खाने की वस्तुओं के दामों को नियंत्रित करने के लिए केन्द्र सरकार कदम उठाए। सदन यह भी प्रस्ताव करता है कि तेल खास तौर पर पैट्रोल, डीज़ल व गैस की अन्तर्राष्ट्रीय दामों में गिरावट के मद्देनजर देश में तेल के दाम भी उसी अनुपात में गिराए जायें जिस अनुपात में क्रूड व बाकी पैट्रोलियम प्रोडक्ट के दाम कम हों।

**प्रस्ताव स्वीकार।**

**(अपराह्न 2.00 बजे सदन की बैठक वीरवार 3 दिसम्बर, 2015 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक स्थगित हुई)**